

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड कामेक/ख/29 पाट/90/11
प्रति,

भोपाल, दिनांक 23/12/2021

1. अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक,
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय —————(समस्त)
2. कार्यपालन यंत्री
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
तकनीकी संभाग —————(समस्त)
3. अध्यक्ष/सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
————— जिला—————
4. शाखा प्रबंधक,
म. प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित,
मुख्यालय टी. टी. नगर भोपाल ।

विषय :- म. प्र. राज्य मण्डी बोर्ड सेवा तथा कृषि उपज मण्डी समिति सेवा के पेंशनरों को पेंशन मंहगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में।

संदर्भ :- म.प्र. शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 9-3/2019/नियम/चार दिनांक 14 दिसम्बर 2021

म.प्र. शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा अपने ज्ञाप क्रमांक-एफ 9-3/2019 /नियम/चार दिनांक 14 दिसम्बर 2021 से पेंशनरों को पेंशन पर मंहगाई राहत स्वीकृत की गई है। इसकी प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

अतः म.प्र. शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक-एफ 9-3/2019 /नियम/चार दिनांक 14 दिसम्बर 2021 में उल्लेखित शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन राज्य मण्डी बोर्ड सेवा तथा कृषि उपज मण्डी समिति सेवा के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को भी निम्नानुसार मंहगाई राहत भुगतान की स्वीकृति दी जाती है:-

अवधि जब से देय है	मंहगाई राहत में वृद्धि की दर		वृद्धि के परिणामस्वरूप मंहगाई राहत की दर प्रतिशत में	
	छटवां वेतनमान	सातवां वेतनमान	छटवां वेतनमान	सातवां वेतनमान
दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 से . (माह अक्टूबर, 2021 की पेंशन/परिवार पेंशन जो नवम्बर 2021 में देय होगी)	10%	5%	164%	17%

*80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी मंहगाई राहत देय होगी।

संलग्न :-उपरोक्तानुसार।

(प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित)

अपर संचालक (कार्मिक)
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

23.12.21

1. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड रायपुर।
 2. अपर संचालक (वित्त) मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
 3. उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा मध्य प्रदेश भोपाल।
 4. उप संचालक (वित्त)/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी (पेंशन) मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
 5. आडिट/पेंशन/मंडी कार्मिक/लेखा शाखा मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित।

23-12-21

अपर संचालक (कार्मिक)
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 9-3/2019/नियम/चार
पति,

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर, 2021

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
मध्यप्रदेश ।

विषय- मध्यप्रदेश राज्य के पेंशनरों को पेंशन पर मंहगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में ।

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-3/2019/नियम/चार दिनांक 26 अगस्त, 2019 के अनुसार द्वारा राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को दिनांक 01 जनवरी, 2019 से छटवें वेतनमान में मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर 154% की दर से एवं सातवें वेतनमान में 12% की दर से मंहगाई राहत स्वीकृत है।

2/ राज्य शासन द्वारा राज्य शासन के पेंशनर/परिवार पेंशनरों को वर्तमान में देय मंहगाई राहत की दर में निम्नानुसार वृद्धि की सहर्ष स्वीकृति दी जाती है :-

अवधि जब से देय है	मंहगाई राहत में वृद्धि की दर		वृद्धि के परिणामस्वरूप मंहगाई राहत की दर प्रतिशत में	
	छटवां वेतनमान	सातवां वेतनमान	छटवां वेतनमान	सातवां वेतनमान
दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 से (माह अक्टूबर, 2021 की पेंशन/परिवार पेंशन जो नवम्बर, 2021 में देय होगी)	10%	5%	164%	17%

*80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी मंहगाई राहत देय होगी :

3/ उपरोक्त मंहगाई राहत अधिवार्षिकी (Superannuation), सेवानिवृत्त (Retiring), असमर्थता (Invalid) तथा क्षतिपूर्ति (Compensation) पेंशन पर देय होगी । सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकम्पा भत्ता (Compassionate Allowance) पर भी इस मंहगाई राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी उक्त मंहगाई राहत वित्त विभाग के शापन क्रमांक

एफ.बी.6/43/76/नियम-2/चार, दिनांक 5-10-76 के प्रतिबंधों के अधीन देय होगी। यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी परन्तु यदि पति / पत्नी की मृत्यु के समय वह सेवा में है तो पति/पत्नी की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे महंगाई राहत की पात्रता होगी।

4/ ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशोक्त (Commute) कराया है, उन्हें महंगाई राहत उनकी मूल पेंशन (सारांशोकरण के पूर्व की पेंशन) पर देय होगी।

5/ यह आदेश राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी लागू होगा, जिन्होंने उपक्रमों/स्वशासी संस्थाओं/मंडलों/निगमों आदि में सर्विलियन पर एक मुश्त राशि आहरित की है और जो वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9/9/2006/नियम/चार, दिनांक 5-1-2007 के अंतर्गत पेंशन के एक तिहाई हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र हो गए हैं।


6/ महंगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा।

7/ राज्य शासन के समस्त पेंशन संवितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग के पृ.क्र. ई-4/1-83/नि-5/चार, दिनांक 29 जनवरी, 1983 के अनुसार मध्यप्रदेश कोष संहिता भाग-1 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेंशनरों को उपरोक्त अनुसार स्वीकृत महंगाई राहत का शीघ्र भुगतान करें।

8/ संचालक पेंशन, बैंक की शाखाओं में नमूना जांच करें तथा विसंगति की स्थिति में उसका समायोजन आगामी माह के भुगतानों में कराया जाना सुनिश्चित करें।

9/ यह आदेश समन्वय में माननीय मुख्यमंत्रीजी से प्राप्त आदेश दिनांक 21-10-2021 के अनुपालन में जारी किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(पी.के. श्रीवास्तव)

उप सचिव

म.प्र. शासन, वित्त विभाग

Government of Madhya Pradesh
Finance Department
Mantralaya - Bhopal

No. -F 9- 3/2019/Rule/IV
To,

Bhopal, dated 14 December, 2021

All Department of Government
The President of Board of Revenue, Gwalior,
All Commissioners of Divisions,
All Heads of Department,
All Collectors,
Madhya Pradesh

Sub - Revised rate of dearness relief to Pensioners/family pensioners
Government of Madhya Pradesh.

The State Government had sanctioned 12% dearness Relief w.e.f. October 2021 on pension/family pension to their pensioners/family pensioners vide Finance Department Memo No. F 9-3/2019/Rule/IV dated 26 August, 2019.

2/ The State Government is pleased to sanctioned the Dearness Relief admissible to pensioners/family pensioners should be as given below.

s.no.	Date from which payable	Rate of increase in D.R.		Rate of D.R. Resulting increase in D.R. rate	
		VI th Pay scale	VII th Pay scale	VI th Pay scale	VII th Pay scale
1.	w.e.f. 01-10-2021 (Pension/family pension for the month of October 2021 paid in November 2021)	10%	5%	164%	17%

The additional pension payable to the pensioner's aged 80 years or above shall also qualify for dearness relief.

3/ The above dearness relief shall be payable on the Superannuation, Retiring, Invalid and Compensation Pension. This dearness relief shall also

be payable on the Compassionate Allowance sanctioned to the employees discharged or removed from service and the said dearness relief shall be payable to persons receiving family pension and extra ordinary pension under the restrictions contained in the Finance Department's Memo No.F.B.6/43/76/R-II/IV dated 5.10.76. This relief on family pension shall be payable in cases where a person at the time of the death of the spouse was in service and was not appointed on compassionate grounds. This relief on family pension shall not be payable in cases where a person on account of the death of the spouse has been appointed on compassionate grounds.

4/ Pensioners, who have commuted a part of their pension, shall be paid the dearness relief on their original pension (pension before commutation).

5/ This order shall be applicable in respect of State Government employees who had drawn lump sum amount on absorption in PSU/Autonomous body/Board /Corporation etc and have become eligible to restoration of 1/3rd commuted portion of pension in terms of this Department's memo No. F 9/9/2006/Rule/IV dated 5-1-2007.


6/ Fraction of rupee of the amount to be paid as dearness relief shall be rounded off to the next rupee.

7/ All Treasury Officers/Sub Treasury Officers/ Pension Disbursing Officers are directed to make payment of the above sanctioned dearness relief to State Government Pensioners early, keeping in view the provisions of S.R.347 of the M.P.T.C. Volume-1, Finance Department's endorsement No.E.-4/1/83/R-V/IV, dated 29th January, 1983.

8/ After payment of dearness relief the same may be got test checked by the Director pension if some inaccuracy/discrepancy comes to the notice, the same may be adjusted in the payment of next months.

9/ This order is being issued in compliance of Hon'ble Chif minister order Date 21-10-2021 in co-ordination.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh


(P.K. Shrivastav)
Deputy Secretary,
Government of Madhya Pradesh
Finance Department

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल।
3. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर।
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर।
6. सचिव, लोक आयुक्त मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
8. मुख्य निर्वाचन, पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल।
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल।
10. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर।
11. महालेखाकार (लेखा और हकदारी) द्वितीय मध्यप्रदेश ग्वालियर (100 प्रतियां)।
12. अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल/माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल।
13. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल।
14. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
15. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन, विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा /अभिलेख/मुख्यलेखाधिकारी) मंत्रालय भोपाल।
16. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर मंत्रालय, भोपाल।
17. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघ।
18. संचालक, पेंशन, 26 किसान भवन मण्डी बोर्ड परिसर, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल 462011.
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश।
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
21. सभी कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
22. मुख्य लेखाधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, गवर्नमेण्ट एण्ड बैंक एकाउण्टस डिपार्टमेंटस, सी-7, बान्द्रा-कुर्ना काम्प्लेक्स, पोस्ट बेंग नं. 8143, बान्द्रा (पूर्व) मुंबई- 400051, (100 प्रतियां)
23. सहायक मुख्य प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शासकीय लेन-देन, लोकल हेड ऑफिस, पोस्ट बेंग नं.-6, मैदामिल के सामने, भोपाल -462012, (10 प्रतियां)
24. उप महाप्रबंधक, वित्त एवं लेखा, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, मुख्यालय, 5-यशवंत निवास रोड, इंदौर -452001, (10 प्रतियां)
25. जोनल मैनेजर, बैंक ऑफ इण्डिया, एम.पी.जो, बैंक ऑफ इण्डिया हाऊस, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011, (300 प्रतियां)
26. चीफ मैनेजर, सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, जोनल ऑफिस, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल- 462011, (200 प्रतियां)
27. उप मुख्य प्रबंधक, , सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, जोनल ऑफिस, डम्बई मार्केट, प्रथम तल, सी-विंग, जी.ई.रोड, रायपुर-492001, (100 प्रतियां)
28. मुख्य प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, जोनल ऑफिस, अरेरा हिल्स जेल रोड, भोपाल-462011 (75 प्रतियां)
29. चीफ मैनेजर, इलाहाबाद बैंक, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, गौतम नगर, भोपाल-462011, (300 प्रतियां)
30. सहायक मुख्य प्रबंधक, देना बैंक, रीजनल ऑफिस, 107, प्रथम तल, बैरसिवा रोड, भोपाल-462001, (200 प्रतियां)
31. सहायक मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र , रीजनल ऑफिस, 1/14 जेल रोड, एडमिनिस्ट्रेटिव काम्प्लेक्स, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011, (150 प्रतियां)
32. सहायक मुख्य प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, आरसीसी1/4 जेल रोड एडमिनिस्ट्रेटिव काम्प्लेक्स प्रथम तल अरेरा हिल्स भोपाल -462011, (45 प्रतियां)
33. सहायक मुख्य प्रबंधक, यूको बैंक, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल-4 2016, (150 प्रतियां)
34. मुख्य प्रबंधक, सेंट्रल कम्प्यूटर प्रोसेसिंग सेंटर, गोविन्दपुरा, भोपाल -462024 (10 प्रतियां)
35. क्षेत्रीय प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, सर्कल आफिस, 20 स्नेहनगर, इंदौर-452001 (65 प्रतियां)
36. क्षेत्रीय प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, सर्कल आफिस, 1227 नेपीयर टाऊन, जबलपुर-482001 (65 प्रतियां)
37. क्षेत्रीय प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, सर्कल आफिस, मदीना मंजिल, कचहरी चौक, जेलरोड, रायपुर-492001 (65 प्रतियां)

38. क्षेत्रीय प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, क्षेत्रीय कार्यालय, 12-12ए, अनूपनगर, एल. आई. सी. चिल्ड्रेन, एम. आई. जी. घौराहा, इन्दौर-452001 (55 प्रतियां)
39. क्षेत्रीय प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुनानक मार्केट न्यॉति टाकीज के पास, नंधियार टाऊन जवल्पुर-482001 (55 प्रतियां)
40. क्षेत्रीय प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, क्षेत्रीय कार्यालय, सिरमोर घौराहा, इलाहाबाद रोड, पोस्ट वाक्स नम्बर-10, रीवा-486001 (60 प्रतियां)
41. क्षेत्रीय प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, क्षेत्रीय कार्यालय, पोस्ट वाक्स नम्बर 23 महावीर काम्प्लेक्स, के.के. रोड, मोधपाड़ा, रावपुर (छत्तीसगढ़) (40 प्रतियां)

की ओर वित्त विभाग के पृ.क्र.ई-4-1/81/नि.-2/चार, दिनांक 22.11.82 के अनुक्रम में अंग्रेषित कर निवेदन है कि वे कृपया अपने अधीनस्थ सभी बैंक शाखाओं को इस आदेश की प्रति मय सहपत्र के इस निर्देश के साथ अंग्रेषित करें ताकि राज्य शासन द्वारा स्वीकार की गई राहत राशि का भुगतान सिविल पेंशनरों को यथासंभव शीघ्र हो सके (क्रमांक 23 से 41 हेतु) ।

42. वित्त सचिव, गुजरात शासन, मंत्रालय, गांधीनगर, गुजरात-382 010
43. वित्त सचिव, आंध्र प्रदेश शासन, मंत्रालय, हैदराबाद-500 001
44. वित्त सचिव, असम शासन, शिलांग, 793 001
45. वित्त सचिव, बिहार शासन, मंत्रालय, पटना, 800 001
46. वित्त सचिव, झारखण्ड शासन, मंत्रालय, रांची, 834 002
47. वित्त सचिव, केरल शासन, मंत्रालय, तिरुवनन्तपुरम, 695 039
48. वित्त सचिव, तमिलनाडु शासन, मंत्रालय, चैन्नई, 600 018
49. वित्त सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 400 023
50. वित्त सचिव, कर्नाटक शासन, मंत्रालय, बंगलोर, 560 001
51. वित्त सचिव, उडिसा शासन, मंत्रालय, भुवनेश्वर, 751 001
52. वित्त सचिव, पंजाब शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़, 160 017
53. वित्त सचिव, हरयाणा शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़, 160 017
54. वित्त सचिव, हिमाचल-प्रदेश शासन, मंत्रालय, शिमला, 171 003
55. वित्त सचिव, राजस्थान शासन, मंत्रालय, जयपुर, 302 001
56. वित्त सचिव, उत्तर-प्रदेश शासन, मंत्रालय, लखनऊ, 226 001
57. वित्त सचिव, पश्चिम-बंगाल शासन, मंत्रालय, कोलकाता, 700 001
58. वित्त सचिव, जम्मू एवं काश्मिर शासन, मंत्रालय, श्रीनगर, 190 001
59. वित्त सचिव, मणीपुर शासन, मंत्रालय, इम्फाल, 795 001
60. वित्त सचिव, त्रिपुरा शासन, मंत्रालय, अगरतला, 799 001
61. वित्त सचिव, नागालैण्ड शासन, मंत्रालय, कोहिमा, 797 001
62. वित्त सचिव, दिल्ली शासन, मंत्रालय, नई दिल्ली, 110 001
63. वित्त सचिव, गोवा-दिवा एवं दमण शासन मंत्रालय, पणजी गोवा, 403 101
64. वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रावपुर, 492 001
65. वित्त विभाग, सिक्किम शासन, मंत्रालय, दन्तक, 717 101
66. वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन, मंत्रालय, देहरादून-248 001 (सरल क्रमांक 42 से 66 तक 2 प्रतियां सहित)
67. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) गुजरात, 5 वां मंजिल, सी ब्लॉक, बहु मंजिली भवन, लाल दरवाजा, अहमदाबाद 380 001 (100 प्रतियां)
68. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) गुजरात, राजकोट 360 001 (100 प्रतियां)
69. महालेखाकार-1, (लेखा एवं हक) आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, 500 463 (250 प्रतियां)
70. महालेखाकार-2, (लेखा एवं हक) आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, 500 463 (50 प्रतियां)
71. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) मेघालय, मिझोरम, अरुणाचल प्रदेश, शिलांग 793 001 (20 प्रतियां)
72. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) मणीपुर, इम्फाल 795 001 (20 प्रतियां)
73. प्रधान महालेखाकार, -2, (लेखा एवं हक) बिहार, बिरचंद पटेल मार्ग, पटना 800 001 (75 प्रतियां)

74. प्रधान महालेखाकार,-1, (लेखा एवं हक) झारखण्ड, झोरण्डा पो. रांची 834 002 (35 प्रतियां)
75. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) केरल, पो. वाक्स नं. 5607, तिरुवनन्तपुरम 695 039 (240 प्रतियां)
76. महालेखाकार-1, (लेखा एवं हक) तमिलनाडु, चेन्नई, 600 018 (150 प्रतियां)
77. महालेखाकार-2, (लेखा एवं हक) तमिलनाडु, चेन्नई, 600 018 (100 प्रतियां)
78. महालेखाकार-1, (लेखा एवं हक) महाराष्ट्र, 101 महर्षि कर्वे रोड, मंबई, 400 020 (100 प्रतियां)
79. महालेखाकार-2, (लेखा एवं हक) महाराष्ट्र, सिविल लाईन्स, नागपुर 440001(100 प्रतियां)
80. महालेखाकार-2, (लेखा एवं हक) कर्नाटक, रेसीडेंसी पार्क रोड, बंगलूर 560 002(150 प्रतियां)
81. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) अडिसा, भुवनेश्वर, 751 001 (150 प्रतियां)
82. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) पंजाब, चंडीगढ़, 160 017 (70 प्रतियां)
83. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) हरियाणा, लेखा भवन, प्लॉट नं. 4 व 5 सेक्टर, 33 वीं चंडीगढ़, 160 047 (60 प्रतियां)
84. वरिष्ठ उप -महालेखाकार, (लेखा एवं हक) हिमाचल प्रदेश, गोटन कैसल भवन, शिमला 171 003 (150 प्रतियां)
85. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) राजस्थान, भगवान दास मार्ग, जयपुर 302 001 (200 प्रतियां)
86. महालेखाकार -3, (लेखा एवं हक) उत्तर-प्रदेश, लखनऊ, 226 001 (50 प्रतियां)
87. महालेखाकार -2, (लेखा एवं हक) उत्तर-प्रदेश, इलाहाबाद, 211 001 (200 प्रतियां)
88. महालेखाकार -2, (लेखा एवं हक) पश्चिम-बंगाल, ट्रेजरी बिल्डिंग, कोलकाता 700 001 (200 प्रतियां)
89. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) जम्मू एवं काश्मिर, श्रीनगर, 190 001 (50 प्रतियां)
90. महालेखाकार, त्रिपुरा, अगरतला, 799 001 (25 प्रतियां)
91. महालेखाकार, नागालैण्ड, कोहिमा 797 001 (50 प्रतियां)
92. वरिष्ठ उप -महालेखाकार, (लेखा एवं हक) सिक्किम, लकार भवन, गान्तोक 717101(20 प्रतियां)
93. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) उत्तराखण्ड, देहरादून 248 001 (200 प्रतियां)
94. संचालक, लेखा (पेंशन शाखा) गोंदा दमन द्विप, पो. पणजी 403 101 (15 प्रतियां)
95. वेतन एवं लेखा अधिकारी, अंडमान एवं निकोबार द्विप, पोर्टब्लेयर 744 011 (50 प्रतियां)
96. वेतन एवं लेखा अधिकारी, क्रमांक 5 (पेंशन), तीस हजारी, दिल्ली 110 006 (30 प्रतियां)
97. सहायक मिलीट्री एटेंची (पेंशन) भारतीय दूतावास, काठमाण्डू, नेपाल -1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी 2) ग्वालियर के माध्यम से (10 प्रतियां) ।
98. मुख्य नियंत्रक एवं महालेखाकार, भारत सरकार, नई दिल्ली 110 001 महालेखाकार ग्वालियर के माध्यम से (10प्रतियां)
99. नियंत्रक लेखा, विदेश मंत्रालय, केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली 110 001 (50 प्रतियां)
100. महालेखाकार (लेखा एवं हक) छत्तीसगढ़, रायपुर 492 001 (200 प्रतियां)
101. संचालक, पेंशन संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर, 492 001 (200 प्रतियां)
102. मध्यप्रदेश राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग, डी-12 माघना कालोनी 6 नंबर स्टाप के पास शिवाजी नगर, भोपाल ।


(पी.के. श्रीवास्तव)

उप सचिव,

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग